Degree Part III Arts
Rural Economics (Honours)
Paper V

Dr. Saroj Kumar Singh
Associate Professor
Department of Rural Economics
S. N. S. R. K. S. College, Saharsa
Date: 22. 05. 2020
Time: 09. 50 AM

बिहार की जनजातियां

डा० सरोज कुमार सिंह,
एसोसिएट प्रोफेसर,
ग्रामीण अर्थशास्त्र विभाग,
एस० एन० एस० आर० के० एस० कालेज, सहरसा

प्रश्न 1—बिहार की जनजातियों के विकास के लिये प्रारम्भ की गई नई योजनाओं की सविस्तार विवेचना कीजिये।

Discuss the New Plans for the Development of Bihar's Tribes.

उत्तर—

बिहार की जनजातियों के विकास की नई योजनायें
(New Plans for the Development of Bihar's Tribes)

बिहार प्रदेश में विकास की नई योजनाओं की परिकल्पना भारत-सरकार के सहयोग से की गई है, जिन्हें राज्य सरकार, जिला प्रशासन, राज्य केन्द्रीय सहकारी बैंक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-जनजाति वित्त एवं विकास निगम आदि के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। विकास की कुछ नवीनतम योजनायें निम्न प्रकार है—

शिक्षा सम्बन्धी प्रमुख योजनाएं

छात्रवृत्ति वितरण योजना—इस योजना के अन्तर्गत विद्यालय, महाविद्यालय एवं प्राविधिक संस्थानों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति-जनजाति एवं कमजोर वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। छात्रवृत्ति की दर विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए अलग-अलग निर्धारित है। वर्ष 1991-92 में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए स्वीकृत एवं व्यय की गई राशि से 56,058 छात्र लाभान्वित हुए हैं। विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए 1493·186 लाख रुपये वितरित किए गए जिनसे 6,09,355 छात्र लाभान्वित हुए।

आवासीय विद्यालय—राज्य में अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्रों के लिए 149 आवासीय विद्यालय चलाए जा रहे हैं। इसमें 24,548 छात्रों के लिए शिक्षा की व्यवस्था है। कल्याण विभाग द्वारा इन छात्रों के लिए 213 छात्रावास संचालित

हैं, जिसमें 24,109 छात्रों के रहने की व्यवस्था है। इन सभी छात्रों को परिवर्तित दर पर 240 रुपये प्रतिमाह तेल साबुन आदि के लिए दिए जा रहे हैं।

पुस्तक अधिकोष—वर्ष 1991-92 में इस योजना के अंतर्गत 7 लाख रुपये खर्च किए गए। अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्रों को संघलोक सेवा आयोग एवं बिहार लोक सेवा आयोग, सहायक ग्रेड, लिपिक ग्रेड, टंकन आदि की परीक्षाओं में सफलता के लिए प्रशिक्षण देने हेतु राज्य में 3 प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है। इन केन्द्रों में प्रशिक्षण पाने वाले छात्रों को 200 रुपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

बालिका आवासीय उच्च विद्यालय—महिलाओं में निरक्षरता को देखते हुए राज्य के 9 जिलों में आवासीय बालिका उच्च विद्यालयों की स्थापना की गई है। प्रत्येक विद्यालय में 248 छात्राओं को सरकारी खर्च पर शिक्षा एवं आवास की व्यवस्था उपलब्ध की गई है। ऐसी छात्राओं के लिए जो किसी भी आवास में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रही हैं छात्रावास अनुदान दर 60 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। वर्ष 1992 तक 1250 छात्राओं को इस योजना से लाभ प्राप्त हुआ।

सहकारिता विकास निगम

अनुसूचित जाति-जनजाति के आर्थिक विकास के लिए राज्य में सहकारिता विकास निगम की स्थापना 1978 में की गई थी। निगम का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के सदस्यों को आर्थिक सहायता देकर उनका आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान करना है। वह निगम इन जातियों के सदस्यों को वित्तीय संस्थाओं से ऋण दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। निगम द्वारा प्रदत्त ऋण योजना दो प्रकार की हैं—मार्जिन मनी ऋण योजना तथा अनुदान योजना।

मार्जिन मनी ऋण योजना—इस योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों को विभिन्न आर्थिक योजनाओं का लाभ उठाने के लिए 25 प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण निगम द्वारा एवं 75 प्रतिशत ऋण बैंकों के द्वारा दिया जाता है। यह योजना राज्य के 14 जिलों में चलाई गई है।

अनुदान योजना—इस योजना के अन्तर्गत हरिजन परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान देकर बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऋण की अधिकतम राशि 35,000 रुपये है, जो मुख्यतः नाबार्ड द्वारा निर्धारित लागत मूल्य पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं जैसे—चर्म उद्योग, लघु उद्योग, छोटी दुकानें, रिक्सा, बैलगाड़ी एवं अन्य प्रकार के लाभकारी

व्यवसायों पर ऋण एवं अनुदान दिया जाता है। यह योजना अब तक राज्य के 25 जिलों में कार्यरत है।

होजरी तथा चर्म सहकारी समितियों का गठन

राज्य में अनुसूचित जाति-जनजाति के बेरोजगार युवक युवतियों के लिए 4 होजरी सहकारी समितियों का गठन किया गया है। इस नई योजना के अन्तर्गत प्रत्येक होजरी सहकारी समिति को राज्य की ओर से 1250 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। इस योजना के लिए 5 करोड़ 51 लाख रुपये की व्यवस्था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-जनजाति विकास एवं वित्त निगम ने उपलब्ध कराई गई है जिसमें 50 हजार से अधिक सदस्यों को लाभ पहुँचने की आशा है।

चमड़े का व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के विकास के लिए दो नई योजनाएं बिहार चर्म उद्योग विकास निगम तथा फिनिस्ड लेवर्स लिमिटेड प्रारम्भ की गई हैं। ये दोनों परियोजनाएं 5 करोड़ 11 लाख रुपये की हैं। इन दोनों परियोजनाओं का मुख्य कार्य विभिन्न चर्मशोधक इकाइयों को पुनर्जीवित करना है जिससे इस उद्योग में लगे विभिन्न परिवार लाभान्वित हो सकें।

बेरोजगार मुक्त जिला योजना

राज्य सरकार ने विभिन्न चरणों में राज्य के कुछ जिलों में बेरोजगार मुक्त जिला योजना बनाई गई है। प्रथम चरण में सारण, गोड्डा, संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर के सभी अनुसूचित जाति-जनजाति के परिवारों का सर्वेक्षण कर प्रत्येक जिले में कम से कम 25 हजार लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था की है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में चुने हुए परिवारों को जिला प्रशासन एवं राज्य केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा कृषि, कुटीर उद्योग, बंजर भूमि का विकास आदि के द्वारा स्वरोजगार की कई मिश्रित योजना चलाई जा रही है।

विशेष अंगीभूत योजना

कमजोर वर्गों के विकास के लिए कई विशेष अंगीभूत कार्यक्रम चलाए गए हैं। इन कार्यक्रमों में प्रमुख हैं—महिला एवं समेकित बाल विकास योजना, मूक, बधिर, नेत्रहीन विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय, पोषाहार कार्यक्रम, कोयला चल क्षेत्र विकास, झारखंड क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अंतर्जातीय विवाह योजना, अत्याचार राहत योजना, कानूनी सहायता, चिकित्सा सहायता, सिंचाई सुविधा कार्यक्रम, गंदी बस्ती में रहने वालों के लिए आवास योजना आदि।

1994–95 के केन्द्रीय बजट में जनजाति-कल्याण योजनायें

वित्त मन्त्री डा० मनमोहन सिंह ने 1994-95 के बजट में विशिष्ट

योनाजओं के लिये राज्यों को सहायता सहित अनुसूचित जातियों-जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये 9 अरब 82 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। अनुसूचित जातियों-जनजातियों का राष्ट्रीय वित्त विकास निगम तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम 1994–95 के दौरान 76 करोड़ रुपये प्राप्त करेंगे। यह राशि पूर्व वर्ष में 53 करोड़ रुपये थी।